

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5

अंक 7

1-15 अप्रैल 2022

₹ 20/-

जांच एजेंसियों के निशाने पर महाराष्ट्र के कई नेता



- मुस्कान खान के खिलाफ कार्रवाई की संभावना
- इमरान खान को जेल भेजने की तैयारी
- जॉर्डन के राजपरिवार में भीषण मतभेद
- जाकिर नाइक का संगठन देशद्रोही घोषित

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक-प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत
नीति प्रतिष्ठान के लिए डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित
तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए-102/4,
ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई
दिल्ली-110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश	03
<u>राष्ट्रीय</u>	
जांच एजेंसियों के निशाने पर महाराष्ट्र के कई नेता	04
संघ प्रमुख के अखंड भारत वाले बयान पर प्रतिक्रिया	07
एटा जिले में दरगाह का विवाद	11
मुस्कान खान के खिलाफ कार्रवाई की संभावना	12
मुश्किलों में कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा	13
<u>विश्व</u>	
इमरान खान को जेल भेजने की तैयारी	15
रूस द्वारा अफगान तालिबान को मान्यता	21
कुख्यात आतंकी हाफिज सईद को 32 वर्ष की सजा	21
पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर सरकारी भ्रष्टाचार	22
श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर	22
<u>पश्चिम एशिया</u>	
दस लाख हाजियों को हज यात्रा करने की अनुमति	24
इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापारिक समझौता	25
जॉर्डन के राजपरिवार में भीषण मतभेद	26
इजरायल सरकार बहुमत से वंचित	27
रमजान में भिखारियों की बढ़ती संख्या	28
<u>अन्य</u>	
हागिया सोफिया में नमाज	29
जाकिर नाइक का संगठन देशद्रोही घोषित	30
त्रिपुरा में मस्जिद का नवनिर्माण	30
उपकुलपति के घर पर विवादित नारे लिखने पर कार्रवाई	31
निजामशाही की निशानियों को मिटाने का प्रयास	31

सारांश

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। अपनी गद्दी को बचाने के लिए उन्होंने हर हथकंडे का इस्तेमाल किया। विपक्षी दलों ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इमरान इस बात को भलीभांति जानते थे कि नेशनल असेंबली में उनकी पार्टी का बहुमत नहीं है और उनके लिए कुर्सी बचा पाना बेहद कठिन होगा। विपक्षी दलों की योजना में पलीता लगाने के लिए उन्होंने नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने से पूर्व ही असेंबली को भंग करने की सिफारिश पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से कर दी और अल्वी ने उसे तुरंत मंजूर भी कर लिया। विपक्षी दलों ने पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने के फैसले को अवैध करार दे दिया और यह निर्देश दिया कि नेशनल असेंबली का अधिवेशन बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करवाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश को भी पलीता लगाने से इमरान खान ने गुरेज नहीं किया। उनके इशारे पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी बीमार हो गए और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इस संवैधानिक संकट को टालने के लिए मुख्य न्यायाधीश को यह निर्देश देना पड़ा कि नेशनल असेंबली की अध्यक्षता पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन (सीनेट) के अध्यक्ष करें। इमरान ने इस अधिवेशन को असंवैधानिक बताते हुए अपनी पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' के सभो सांसदों को त्यागपत्र दिलवा दिया। नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चुना गया जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू करवा दी है ताकि उन्हें जेल भेजा जा सके।

पाकिस्तान में शासन की बागडोर सेना और अमेरिका के हाथ में रही है। इन दोनों को नाराज करके कोई नेता वहां सत्ता में नहीं रह सकता। इमरान खान ने अफगानिस्तान में बनी तालिबान सरकार का खुलेआम समर्थन करके अमेरिका की नाराजगी मोल ले ली थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को न्यूयॉर्क तलब किया और उन्हें इमरान खान के खिलाफ अपनी नाराजगी से अवगत करा दिया। बाजवा पहले ही इमरान खान से नाराज थे। क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि इमरान खान उनके कार्यकाल में वृद्धि करने वाले नहीं हैं और उनका उत्तराधिकारी आईएसआई के प्रमुख फैज हमीद को बनाना चाहते हैं। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका को इच्छा के विरुद्ध इमरान मास्को आए थे। इसलिए बदला लेने के लिए अमेरिका ने उन्हें सत्ता से हटवा दिया है। अमेरिका ने इस आरोप का खंडन किया है। हालांकि सच्चाई यही है कि पाकिस्तान में अमेरिका की इच्छा के बिना सरकारें कार्यकाल पूरा नहीं कर पातीं।

सऊदी अरब सरकार ने दो वर्ष के बाद दुनिया भर के मुसलमानों को हज करने की अनुमति दे दी है। गत दो वर्ष से सऊदी अरब सरकार ने कोरोना के कारण विदेशियों के हज करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। इस वर्ष दस लाख हाजियों को हज करने की अनुमति दी गई है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन हाजियों में भारतीयों का कोटा कितना होगा। क्योंकि इस वर्ष भारतीय मुसलमानों ने हज में विशेष रुचि नहीं ली थी इसलिए अब हज के लिए आवेदन देने की तिथि में वृद्धि की गई है ताकि अधिक-से-अधिक भारतीय मुसलमान हज यात्रा कर सकें।

महाराष्ट्र के अनेक नेता प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर आ गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सबसे शक्तिशाली मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है और उनकी अरबों रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसी तरह से शिवसेना के सबसे मुखर सांसद संजय राउत की भी अरबों रुपये की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त की है। उनके खिलाफ विभिन्न आरोपों में जांच चल रही है।

जांच एजेंसियों के निशाने पर महाराष्ट्र के कई नेता



महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के नेता प्रवर्तन निदेशालय और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (14 अप्रैल) के अनुसार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए उनकी अरबों रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इस संपत्ति में पांच फ्लैट और उस्मानाबाद स्थित उनकी 148 एकड़ भूमि शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक के जिन पांच फ्लैटों को जब्त किया है उनमें से तीन मुंबई के कुर्ला क्षेत्र में और दो बांद्रा क्षेत्र में हैं। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि आतंकवादी दाउद इब्राहिम से जो आर्थिक लेन-देन नवाब मलिक का हुआ था उससे ही य

संपत्तियां खरीदी गई हैं। इसलिए इन सभी अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। नवाब मलिक की एक निर्माण कंपनी भी है, जिसका नाम मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी ने ये संपत्ति खरीदी थी। जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि नवाब मलिक ने चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में जो हलफनामा दायर किया था उसमें इन संपत्तियों का उल्लेख किया गया था या नहीं।

नवाब मलिक ने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील देते हुए कहा था कि नवाब मलिक को गैरकानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। सिब्बल का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक को जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया है उसे 2005 में लागू किया गया था। जबकि उनके खिलाफ जिन आरोपों की जांच की जा रही है वह वर्ष 2000 से

पहले हुए लेन-देन से संबंधित है। केंद्र सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में यह तर्क दिया गया कि मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर उन्हें 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में बंद हैं। उच्च न्यायालय ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। अब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (3 अप्रैल) के अनुसार नवाब मलिक के वकील ने मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है और यह दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई नवाब मलिक की गिरफ्तारी गैरकानूनी है और यह उनके बुनियादी नागरिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये तमाम प्लॉट उन्होंने 22 वर्ष पहले खरीदा था। अब राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है।

औरंगाबाद टाइम्स (6 अप्रैल) के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना के नेता संजय राउत के परिवार से संबंधित करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई पात्रा चॉल भूमि घोटाले के सिलसिले में की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने जिन संपत्तियों को जब्त किया है उनमें अलीबाग स्थित आठ प्लॉट और दादर का एक प्लॉट शामिल है। इनमें से कुछ संपत्तियां संजय राउत के एक रिश्तेदार प्रवीण राउत की हैं। जबकि दो करोड़ की संपत्ति संजय राउत की पत्नी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में फरवरी महीने में महाराष्ट्र के एक व्यापारी प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने पिछले वर्ष संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पीएमसी बैंक घोटाला और प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से उनके संबंधों के बारे में लंबी बातचीत की थी।

संजय राउत का कहना है कि केंद्र सरकार उन पर राजनीतिक द्वेष के कारण अपनी जांच एजेंसियों द्वारा दबाव डाल रही है। नियमों के

अनुसार जिस संपत्ति को जब्त किया गया है उसे जब्त करने से पूर्व प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस देना चाहिए था। जो उसने नहीं दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री जयंत पाटिल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां जानबूझकर संजय राउत को परेशान कर रही हैं। इसका कारण यह है कि संजय राउत ने भाजपा के एक नेता किरीट सोमैया के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। इसका बदला लेने के लिए केंद्र सरकार ने यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि क्योंकि 2019 में महाराष्ट्र में भाजपा अपनी सरकार नहीं बना पाई इसलिए अब वह अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए झूठे आरोपों में फंसा रही है।

सियासत (8 अप्रैल) के अनुसार शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया को निशाना बनाते हुए कहा है कि उन्हें और उनके बेटे नील सोमैया को आईएनएस विक्रान्त घोटाले में जेल जाना होगा। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने भाजपा के नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ विमान वाहक जहाज आईएनएस विक्रान्त को बचाने के नाम पर जनता से इकट्ठे किए गए 57 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में धोखा देने का एक मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा एक नौसैनिक की शिकायत पर ट्रॉम्बे पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि आईएनएस विक्रान्त को 1961 में भारतीय जल सेना में शामिल किया गया था और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसने शानदार भूमिका निभाई थी। जनवरी 2014 में केंद्र सरकार ने इस विमान वाहक जहाज को ऑनलाइन नीलाम करने का फैसला किया था। इस जलयान को बचाने और उसे एक संग्रहालय का रूप देने के लिए किरीट सोमैया ने जनता से फंड इकट्ठा किया था, जिसमें 57 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। मगर इस फंड में से महाराष्ट्र के

राज्यपाल के कार्यालय में मात्र दो करोड़ रुपये ही जमा करवाए गए थे और शेष धनराशि इस भाजपा नेता ने हड़प ली थी।

अवधनामा (12 अप्रैल) के अनुसार हाल ही में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की तो इस मुलाकात को लेकर सत्ता के गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बाद में इन कयासों का खंडन करते हुए शरद पवार ने यह कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस मामले की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान दिलाने के लिए उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि संजय राउत के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि वे मोदी सरकार और भाजपा के घोटालों को उजागर कर रहे थे। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मजबूत है और प्रधानमंत्री मोदी उसका तख्ता पलटने की जो साजिश रच रहे हैं उसमें वे कभी सफल नहीं होंगे। भाजपा और केंद्र सरकार इसलिए संजय राउत से चिढ़ी हुई है क्योंकि उन्होंने भाजपा के एक नेता और उनके बेटे के करोड़ों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया है।

समाचारपत्र ने कहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत से कांग्रेसियों और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भाजपा में शामिल किया था। इनमें कृपाशंकर सिंह और नारायण राणे प्रमुख थे। विचित्र बात यह है कि भाजपा के नेताओं ने इससे पूर्व कृपाशंकर सिंह पर भ्रष्टाचार द्वारा 300 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप लगाया था। मगर गंगा रूपी भाजपा में स्नान करने के बाद वे पवित्र बन गए हैं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के लगाए गए सभी आरोप खटाई में डाल दिए गए। इसी तरह से भाजपा के एक अन्य नेता किरीट सोमैया ने 2017 में नारायण राणे की सात कंपनियों पर भ्रष्टाचार

का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। मगर 2019 में जब वे भाजपा की शरण में आ गए तो उनके सभी पाप धुल गए और उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया।

इंकलाब (9 अप्रैल) ने एक लेख प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है, 'महाराष्ट्र में राजनीतिक बदले का नंगा नाच'। इस लेख में आजम शहाब ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना के तहत महाराष्ट्र के अनेक विपक्षी नेताओं को झूठे आरोपों में फंसा रही है। इस संदर्भ में लेखक ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक एवं शिवसेना सांसद संजय राउत का जिक्र किया है। राउत ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि केंद्र की भाजपा सरकार उन पर इस बात के लिए दबाव डाल रही थी कि वे महाराष्ट्र सरकार को गिराने के अभियान में सहयोग दें। जब उन्होंने मोदी सरकार के सामने घुटने टेकने से इंकार कर दिया तो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। महाराष्ट्र में नवाब मलिक के खिलाफ इसलिए भाजपा ने अभियान छेड़ा था क्योंकि उन्होंने फिल्म अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स विभाग द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने का पर्दाफाश किया था। इसके बाद जब नवाब मलिक को केंद्र सरकार ने अपना निशाना बनाया तो नवाब मलिक का समर्थन करने वालों में संजय राउत सबसे आगे थे।

नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर यह आरोप लगाया था कि उनके संबंध माफिया डॉन से है। इसके बाद भाजपा बैकफुट पर चली गई थी। इससे चिढ़कर केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को नवाब मलिक को फंसाने का निर्देश दिया था और आखिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा को यह आशा थी कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाडी में मतभेद

पैदा हो जाएंगे। मगर हुआ इसका उल्टा। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ मोर्चे में शामिल सभी दल एकजुट हो गए। उस समय संजय राउत ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि नवाब मलिक को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उन्हें अपहरण किया गया है। बाहर के लोग आकर हमारे एक मंत्री को उठाकर ले गए। हम इसे कभी सहन नहीं करेंगे।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाडी सत्ता में आई है केंद्र सरकार के इशारे पर विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियां राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं से संबंधित मामले ढूंढ-ढूंढकर निकाल रही हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि प्रवर्तन निदेशालय महाराष्ट्र के नेताओं को इसलिए अपना निशाना बना रहा है ताकि शिवसेना इस गठबंधन से अलग हो जाए और वह भाजपा से समझौता करके उसे सत्ता में ले आए।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना

के नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने की निंदा की है और यह आरोप लगाया है कि भाजपा पूरे देश में सिर्फ अपनी ही सरकार स्थापित करना चाहती है और अन्य सभी विपक्षी दलों को हाशिए पर लाने की योजना बनाए हुए है। भाजपा की इस चाल को विपक्षी दल भी समझ चुके हैं। वे इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भाजपा और संघ परिवार देश की राजनीति पर केवल अपना वर्चस्व चाहत हैं। वे लोकतांत्रिक ढांचे को तबाह करके एक पार्टी की सरकार को सदा के लिए सत्ता में लाना चाहते हैं। समाचारपत्र ने सभी विपक्षी दलों से अपील की है कि वे भाजपा की तानाशाही का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो जाएं वरना उनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 अप्रैल) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस'। इस संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि भाजपा सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाडी की सरकार का तख्ता पलटने के लिए राज ठाकर का इस्तेमाल कर रही है।

संघ प्रमुख के अखंड भारत वाले बयान पर प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने 15 वर्ष में अखंड भारत बनने का जो दावा किया वह उर्दू समाचारपत्रों को पसंद नहीं आया है।

इंकलाब (15 अप्रैल) ने अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रमुख समाचार के रूप में मोहन भागवत के बयान को प्रकाशित करते हुए उसका शीर्षक दिया है, 'भागवत का 15 वर्ष में अखंड भारत बनाने का दावा'। समाचारपत्र के अनुसार देश में नफरती माहौल बनाने और अल्पसंख्यकों को निरंतर निशाना बनाने की घटनाओं के बीच आरएसएस ने 15 वर्ष में अखंड भारत बनाने का दावा किया है। संघ प्रमुख ने यह भी कहा है कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने दावा किया है कि हिंदुस्तान

15 वर्ष में दोबारा अखंड भारत बनेगा और इसे सभी अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अखंड भारत को रोकने वाला कोई नहीं है। जो भी इस रास्ते में आएगा वह मिट जाएगा। संघ प्रमुख ने कहा कि हम हाथ में लाठी लेकर अहिंसा की बात करेंगे। हमारे दिल और दिमाग में कोई नफरत और दुश्मनी नहीं है। लेकिन दुनिया सिर्फ ताकत की भाषा समझती है तो हम क्या करें। उन्होंने कहा कि वैसे तो 20-25 वर्ष में एक अखंड भारत बनेगा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10-15 वर्षों में ही बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है।



उन्होंने आग कहा कि भारत तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। तरक्की के इस सफर में सब मिलकर एक साथ आएँ और इसे रोकने की कोशिश न करें। जो इस मार्ग में बाधा बनेंगे वे मिट जाएंगे। जिसको साथ नहीं आना है वे रास्ते से हट जाएँ। सनातन धर्म का विरोध करने वाले तथाकथित लोगों का भी इसमें सहयोग है। क्योंकि अगर वे इसका विरोध नहीं करते तो हिंदू जागता नहीं। वह सोता रहता। हिंदुस्तान धर्म के द्वारा ही उभरेगा। 1000 वर्ष से सनातन धर्म को समाप्त करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोग मिट गए। लेकिन हम और सनातन धर्म आज भी मौजूद हैं।

दूसरी ओर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री सीताराम येचूरी ने अखंड भारत पर मोहन भागवत के बयान की आलोचना की है और कहा है कि आरएसएस लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। यह अखंड भारत क्या है? वह इस तरह का जहर नफरत फैलाकर जीत हैं। इसके नतीजे के तौर पर हिंसा होती है। कृपा करके बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान को बताएं कि

अखंड भारत क्या है। ऐसे लोग सिर्फ जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं। वे यह समझते हैं कि इस तरह से उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होगा तो वे एक बड़ी गलती कर रहे हैं। देश की एकता, अखंडता और बहुसंस्कृतिवाद सिर्फ सामाजिक सद्भावना, सांप्रदायिक सौहार्द और एकता के बल पर ही बरकरार रह सकता है। जिस तरह से इस भावना की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं वह भारत जैसे महान देश का अपमान है।

शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी भागवत के बयान की आलोचना की है और कहा है कि आप अखंड भारत बनाएं। 15 वर्ष का नहीं बल्कि 15 दिन का वायदा करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई अखंड भारत की बात करता है तो इससे पहले पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना होगा। इसके बाद उसे पाकिस्तान को भी भारत में शामिल करना होगा। पहले जहां भी भारत की सीमाएं थीं उन सभी क्षेत्रों को जोड़िए। श्रीलंका का शामिल करिए और फिर एक सुपरपावर बनाइए। आपको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन इससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी

जरूर करवा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपका हर तरह का साथ देंगे।

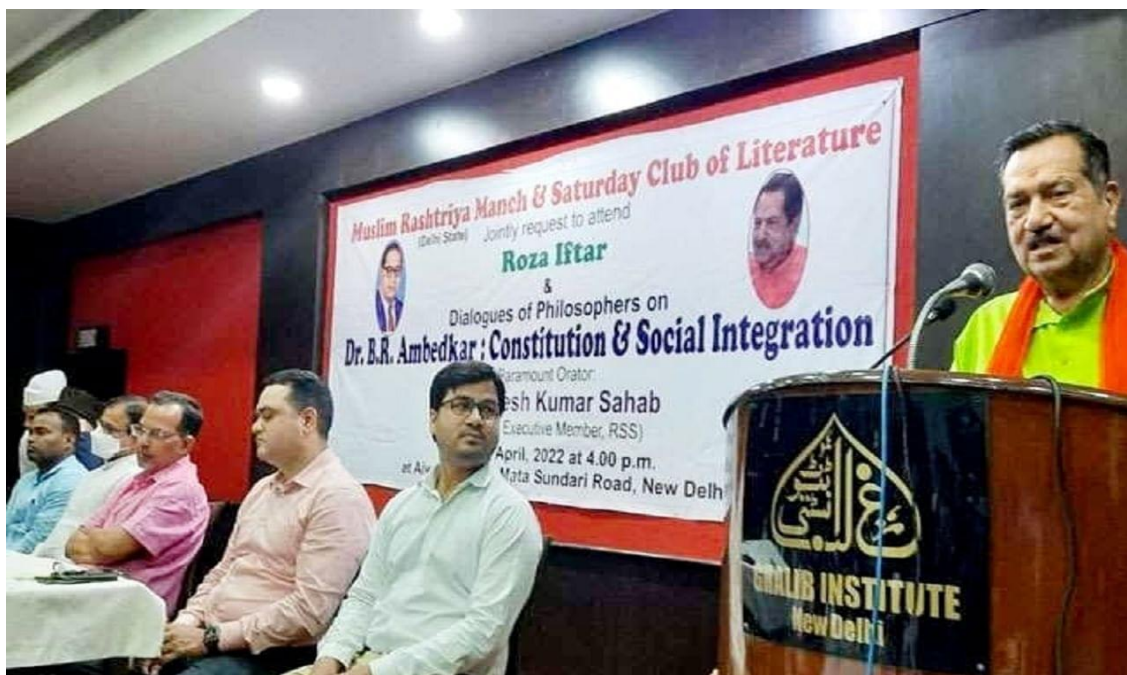
इंकलाब (16 अप्रैल) ने मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि जो लोग भारत में 15 प्रतिशत मुसलमानों को सहन नहीं कर पा रहे हैं वे 45 प्रतिशत मुसलमानों को कैसे सहन करेंगे? उनके इस बयान पर सोशल मीडिया में प्रश्नों की एक लंबी सूची बनी हुई है। कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं कि अखंड भारत में कौन-कौन से देश होंगे? क्या इसमें तालिबान के साथ अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाएगा? 15 वर्ष का इंतजार क्यों, 15 दिन में क्यों नहीं? अखंड भारत को औरंगजेब जैसे शासकों की जरूरत होगी? सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रिया मोहन भागवत के अखंड भारत पर दिए बयान से शुरू हुई। वैसे तो अखंड भारत के बारे में कहा जाता है कि उसकी सीमाएं अफगानिस्तान और ईरान तक थीं। क्या इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल होगा? इसके अतिरिक्त श्रीलंका, भूटान, म्यांमार आदि अनेक देशों को अखंड भारत का हिस्सा बताया जाता है।

अखंड भारत के समर्थकों ने इन देशों के बनने की तिथियों के साथ-साथ अखंड भारत का एक मानचित्र भी पेश किया है। संदीप शिंदे नामक एक व्यक्ति ने ट्विट किया है कि हिंदुस्तान 150 वर्ष से टूट रहा है। अखंड भारत हर राष्ट्रवादी हिंदू का सपना होना चाहिए। आईए पहले हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएं फिर अखंड भारत। अखंड भारत की चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि माहन भागवत एक ऐसा अखंड भारत चाहते हैं, जिसमें 45 प्रतिशत मुसलमान होंगे। हालांकि वे भारत में 15 प्रतिशत मुसलमानों को भी सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे उनका वैचारिक दिवालियापन का पता चलता है। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों की सरकारें मुश्किल में हैं। अखंड भारत के समर्थकों को उन्हें भारत में

विलय करने का प्रस्ताव पेश करना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर संजय राउत की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि अखंड भारत के प्रथम विदेश मंत्री संजय राउत होंगे। एक अन्य व्यक्ति ने लिखा है कि मोदी ने हमें 25 वर्ष इंतजार करने के लिए कहा था। मगर अब मोहन भागवत हमें 15 वर्ष इंतजार करने के लिए कह रहे हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 अप्रैल) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुझे आशा है कि जल्दी ही कश्मीरी पंडित अपने पैतृक घरों में बस सकेंगे। उन्हें इस तरह से बसना चाहिए कि वे कभी भविष्य में वहां से न उजड़ सकें। 'कश्मीर फाइल्स' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों की हालत को दिखाया है, जिससे पूरा देश हिल गया है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग कश्मीर फाइल्स के समर्थन में हैं। जबकि कुछ लोग इसे अर्द्धसत्य कह रहे हैं। लेकिन यह देश के आम आदमी की राय है। देश के सामने इस फिल्म ने सच्चाई पेश करके बेघर होने वालों का दर्द पेश किया है और हमें भी हिला दिया है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी शतों के आधार पर वहां जाएं और वहां बस जाएं। भाजपा के जम्मू कश्मीर ईकाई के प्रवक्ता जी.एल. रैना ने कहा कि यह पहला अवसर है जब मोहन भागवत ने कश्मीरी नव वर्ष नवरेह पर कश्मीरी पंडितों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि नव वर्ष के कार्यक्रम में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। जिंदगी हर हालत में आती है और जाती भी है। इसलिए इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है।

इंकलाब (15 अप्रैल) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी के



दौरान कहा कि पाकिस्तान में सिंधी, बलूची, पश्तूनी और मुजफ्फराबादी आदि पाकिस्तान की 40 प्रतिशत मुस्लिम आबादी दर्दनाक जीवन व्यतीत कर रही है। वहां के स्थानीय निवासी उन्हें मुहाजिर कहते हैं और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यह मांग करता है कि पाकिस्तान में मुसलमानों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेज भारत को दो भागों आर्य और दविड में बांटना चाहते थे। मगर जब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उनकी योजना मिट्टी में मिल गई। अंग्रेजों ने नेहरू और जिन्ना को आगे करके हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत का बीज बोकर विभाजन का मसूबा बनाया, जिसमें वे सफल हो गए।

इंद्रेश कुमार ने कहा कि 14 अप्रैल से संबंधित कई त्योहार हैं। आज महावीर जयंती भी है और रमजान भी। आज हम यह प्रतिज्ञा करके वापस जाएं कि यह भारत बहुराष्ट्र नहीं है।

इसलिए हमें इसे एक राष्ट्र बनाने का काम करना चाहिए। अतिवाद का जवाब भाईचारे और मोहब्बत से दिया जाए तभी लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. इमरान चौधरी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरदार पटेल की सेवाओं पर प्रकाश डाला। इस समारोह का संयोजन जबीउल्लाह जबी ने किया और इसमें डॉ. शाहिद अख्तर, एडवोकेट सिराज कुरैशी, डॉ. आमिर सुहेल और डॉ. रविकांत ने भी भाग लिया।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 अप्रैल) में एक लेख प्रकाशित किया गया है, जिसमें देश के मुसलमानों से अपील की गई है कि वे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टियां का बहिष्कार करें। देश के मुसलमानों को संघ अपने जाल में फंसाकर हिंदू राष्ट्र का एजेंडा थोपना चाहता है। देश के मुसलमानों को संघ की इस चाल से चौकन्ना रहने की आवश्यकता है।

एटा जिले में दरगाह का विवाद



इंकलाब (14 अप्रैल) के अनुसार एटा जिले में जब एक दरगाह परिसर में एक भवन के निर्माण की नींव डाली जा रही थी तो वहां से शनिदेव के अतिरिक्त कुछ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी बरामद हुई हैं। जलेसर से भाजपा विधायक संजीव कुमार दिवाकर ने दावा किया है कि शनिदेव मंदिर पर कब्जा करके यह दरगाह बनाई गई थी। उन्होंने यह मांग की है कि जिस जमीन से शनिदेव की मूर्ति निकली है उसे वहीं पर स्थापित किया जाए। समाचारपत्र के अनुसार एटा जिला में बड़े मियां-छोटे मियां दरगाह कमेटी के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। उन पर 99 करोड़ रुपये घोटाला करने का आरोप है। यह केस ग्राम प्रधान की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया है। इसके बाद इन दोनों दरगाहों को जिला प्रशासन ने अपने नियंत्रण में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। केस दर्ज होने के बाद कमेटी के सभी सदस्य फरार हो गए हैं। जलेसर के एसडीएम ने जिले की तीनों तहसीलों के उप रजिस्ट्रारों से तीन जिलों में कमेटी की ओर से खरीदे गए बयनामों की रिपोर्ट मांगी

है। वहीं जलेसर देहात के प्रधान ने उच्च न्यायालय, जिलाधिकारी और जिला न्यायाधीश की अदालत में इस मामले से संबंधित याचिका दायर की है। यह मामला अल्पसंख्यक आयोग में भी पहुंचा है और आयोग ने प्रशासन से इस मामले की रिपोर्ट भी मांगी है।

समाचारपत्र के अनुसार एटा जिला के जलेसर क्षेत्र में बड़े मियां-छोटे मियां की दरगाह है। बताया जाता है कि इस दरगाह पर हर शनिवार और बुधवार को हजारों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालु आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। पुलिस ने कहा है कि वह प्रबंध समिति के फरार हुए लोगों को तलाश कर रही है। दरगाह कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अकबर अली के बारे में यह जानकारी मिली है कि भोपाल में उसकी कुछ संपत्ति है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वह संपत्ति कितनी और कहाँ है? जलेसर के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री ने सदर अलीगंज और जलेसर तहसील के उप रजिस्ट्रारों को पत्र लिखकर दरगाह प्रबंध कमेटी के नौ सदस्यों की संपत्ति से संबंधित ब्योरा मांगा है। जलेसर पुलिस के डीएसपी इरफान नासिर खान ने कहा है कि गबन के मामले में दरगाह प्रबंध कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अकबर अली खान आदि जिन नौ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनके मकानों पर ताले लगे हुए हैं और वे किसी अज्ञात जगह पर फरार हो चुके हैं। पुलिस उनका सुराग लगाने का प्रयास कर रही है।

मुस्कान खान के खिलाफ कार्रवाई की संभावना



सालार (12 अप्रैल) के अनुसार भाजपा के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर उनसे यह मांग की है कि अल्लाह-हू-अकबर का नारा लगाकर चर्चा में आई मुस्कान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सालार में प्रकाशित समाचार के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि वे कर्नाटक की छात्रा मुस्कान खान के खिलाफ उचित कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं, जिसकी आतंकवादी संगठन अलकायदा के प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी ने हाल ही में एक वीडियो में प्रशंसा की है। सांसद हेगड़े ने मुख्यमंत्री से कहा है कि इस बात का पता लगाया जाए कि मुस्कान खान का अलकायदा से क्या संबंध है?

जहां तक मुस्कान खान का संबंध है कुछ महीने पूर्व जब कुछ हिंदू युवकों ने हिजाब विवाद पर कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया था तो उसने उसके जवाब में अल्लाह-हू-अकबर के नारे लगाए थे। मुस्कान खान मांड्या के एक डिग्री कॉलेज की छात्रा है। अल्लाह-हू-अकबर के नारे लगाने वाली इस छात्रा का वीडियो जब सोशल मीडिया पर

वायरल हुआ तो वह मीडिया में छा गई। उसे उसकी बहादुरी के लिए जमीयत उलेमा की ओर से पांच लाख रुपये पुरस्कार भी पेश किया गया था। कई अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी उसको प्रोत्साहित करने के लिए अनेक तरह के कदम उठाए थे।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 अप्रैल) के अनुसार अलकायदा के प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी ने 9 मिनट का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने जय श्रीराम का नारा लगाने वाली भीड़ के सामने अल्लाह-हू-अकबर का नारा लगाने वाली इस लड़की को अपनी बहन बताया है और उसकी प्रशंसा में एक कविता भी पढ़ी है। अल-जवाहिरी ने कहा है कि भारत सरकार अपने देश में मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है और इसके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होकर कदम उठाना चाहिए। गौरतलब है कि ओसामा बिन लादेन को मौत के बाद अलकायदा की कमान अयमान अल-जवाहिरी ने संभाली थी। बाद में उसकी मौत के बारे में मीडिया में काफी चर्चा हुई। मगर हाल ही में उसका एक वीडियो

वायरल हुआ है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अभी वह जिंदा है। मुस्कान खान से संबंधित वीडियो अलकायदा के अधिकृत वेबसाइट पर जारी किया गया है। इस वीडियो के साथ एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसमें मुस्कान खान को 'नोबल खातून' बताया गया है। अलकायदा प्रमुख ने कहा है कि मझे मुस्कान खान के बारे में वीडियो और सोशल मीडिया से जानकारी मिली है। इस बहन ने तकबोर की आवाज बुलंद करके मेरा दिल जीत लिया है। उसने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों की निंदा की है और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश को पश्चिमी देशों का गुर्गा बताया है।

सियासत (8 अप्रैल) के अनुसार अलकायदा प्रमुख का वीडियो वायरल होने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेन्द्र का कहना है कि इस वीडियो की साजिश के पीछे वे लोग सक्रिय हैं जो हिजाब के मामले में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। मुस्कान खान के पिता मोहम्मद हुसैन ने अलकायदा के

प्रमुख के इस वीडियो की निंदा की है और कहा है कि यह वीडियो समाज में फूट डालने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने यह वीडियो नहीं देखा है और न ही मैं अलकायदा के प्रमुख को जानता हूँ। यह वीडियो हमारे लिए सिरदर्द बन गया है। हम कर्नाटक के जिला मांड्या में अमन-चैन से रह रहे हैं। अब जानबूझकर मेरी बेटी का नाम अलकायदा से जोड़ा जा रहा है। जबकि हमारा इस विवाद से कुछ लेना-देना नहीं है। मेरी बेटी को सिर्फ अपनी पढ़ाई में रुचि है और वह इस नए विवाद के बारे में कुछ नहीं जानती। जांच एजेंसियों को जांच करने दिया जाए। क्योंकि हम यह जानते हैं कि इस विवाद और अलकायदा से हमारा दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए हमें इस संदर्भ में कोई घबराहट नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए। मेरा शुरू से ही यह कहना है कि कुछ शरारती तत्व हिजाब के विवाद को जानबूझकर हवा दे रहे हैं। ताकि देश की एकता को तार-तार किया जा सके।

मुश्किलों में कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा

भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर जाने के कारण कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 अप्रैल) के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि ईश्वरप्पा ने नैतिक आधार पर अपने पद से त्यागपत्र दिया है। इससे पूर्व ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने का फैसला राज्य के मुख्यमंत्री से हुई बातचीत के आधार पर किया है। इससे पूर्व बोम्मई ने कहा कि पार्टी हाईकमान की ओर से के.एस. ईश्वरप्पा को मंत्री पद से हटाने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया था। जबकि कांग्रेस ने संतोष पाटिल की मौत के मामले में लिप्त होने के कारण ईश्वरप्पा का

राज्य के मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। उडुपी के एक लॉज में आत्महत्या करने से पूर्व ठेकेदार संतोष पाटिल ने आरोप लगाया था कि उनसे ईश्वरप्पा ने ठेका देने के बदले में 40 प्रतिशत कमीशन की मांग की थी।

सियासत (14 अप्रैल) के अनुसार कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि आत्महत्या करने से पूर्व एक ठेकेदार संतोष पाटिल ने अपनी मौत का जिम्मेवार ईश्वरप्पा को ठहराया था। इसके बाद उडुपी पुलिस में ईश्वरप्पा के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने संतोष पाटिल को



संतोष पाटिल ने आत्महत्या की है। बताया जाता है कि संतोष पाटिल का संबंध सत्तारूढ़ दल भाजपा से था और भाजपा की सरकार ने उन्हें विभिन्न विभागों में करोड़ों रुपये के ठेके दिलवाए थे। पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा ने संतोष पाटिल से कहा था कि उन्हें ठेके से संबंधित बिलों का भुगतान तभी किया जाएगा जब वे बिलों की धनराशि का 40 प्रतिशत

आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। संतोष पाटिल भाजपा का एक कार्यकर्ता था।

सालार (12 अप्रैल) ने इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है और कहा है कि भाजपा के एक कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने आत्महत्या करने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने उनसे 40 प्रतिशत कमीशन मांगी थी। उनका कहना था कि मंत्री ने कहा था कि वे उसे चार करोड़ का ठेका देने के लिए तैयार हैं, मगर उसके बदले में उन्हें 40 प्रतिशत कमीशन देनी होगी। यह पत्र लिखने के बाद ठेकेदार संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली थी और उनका शव उडुपी के एक लॉज में पाया गया था। प्रारंभ में ईश्वरप्पा ने इस आरोप का खंडन किया था। जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने और उन्हें मंत्रिमंडल से निकालने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया था।

ईश्वरप्पा ने यह दावा किया है कि जब संतोष पाटिल ने उन पर कमीशन खाने का आरोप लगाया था तो उन्होंने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर करवाया था। मुकदमे से डर कर

भाग कमीशन के रूप में उन्हें देंगे। कहा जाता है कि भाजपा की केंद्रीय हाईकमान के इशारे पर ईश्वरप्पा से त्यागपत्र लिया गया है। गौरतलब है कि संतोष पाटिल के भाई ने यह धमकी दी थी कि जब तक ईश्वरप्पा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वे अपने भाई के शव की अंत्येष्टि नहीं करेंगे। मृतक ठेकेदार संतोष पाटिल की पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि संतोष ने अपनी सारी पूंजी और लोगों से कर्ज लेकर विभिन्न परियोजनाओं के कार्य को पूरा करवाया था। अब जब भुगतान का समय आया तो ईश्वरप्पा और भाजपा के कई अन्य नेताओं ने उनसे कमीशन की मांग की, जिसका भुगतान करना उनके लिए संभव नहीं था। इससे तंग आकर संतोष को आत्महत्या करनी पड़ी। कहा जाता है कि संतोष पाटिल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई से मिलकर उनसे ईश्वरप्पा के बारे में शिकायत करना चाहता था, मगर मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने से इंकार कर दिया। इससे हताश होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि पहले बोम्मई ने ईश्वरप्पा से त्यागपत्र मांगने से इंकार कर दिया था, मगर बाद में हाईकमान के दबाव पर उन्हें ईश्वरप्पा से त्यागपत्र लेना पड़ा।

इमरान खान को जेल भेजने की तैयारी

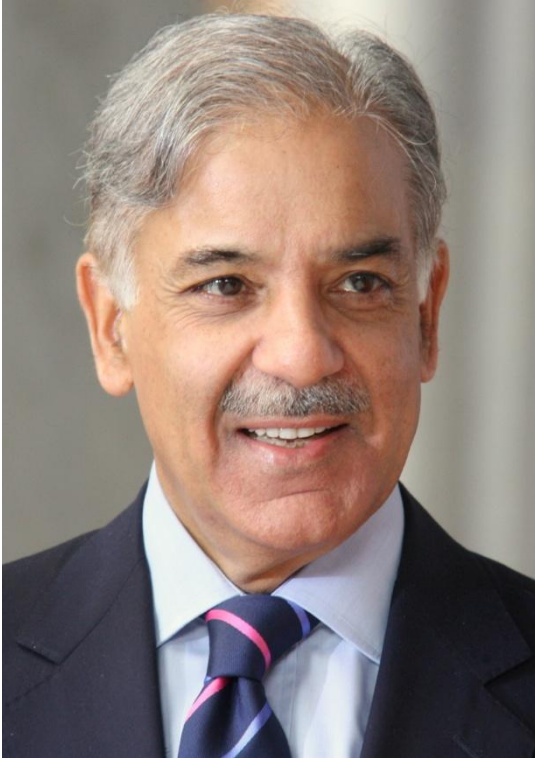


पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार किया है उसके लिए उन्हें पाकिस्तानी जनता के सामने एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को यह निर्देश दिया है कि वह इमरान खान के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों की जांच शुरू कर दे। पाकिस्तान के प्रमुख टीवी चैनल 'जियो न्यूज' के अनुसार शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया है कि इमरान खान को करोड़ों रुपये के उपहार मिले थे। वह उन्होंने दुबई में बेच दिए और उस धनराशि को सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया। इसके अलावा मेट्रो पोजेक्ट में भी जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। इमरान खान ने सभी दांव पेंच खेलकर अपनी गद्दी बचाने का प्रयास किया था, मगर पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली में

अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

इंकलाब (13 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और उन्होंने घोषणा की है कि वे अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे और पड़ोसी देशों, जिनमें भारत विशेष रूप से शामिल है के साथ अपने संबंधों का बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि अब पाकिस्तान के सरकारी कार्यालय दो की बजाय एक दिन ही बंद रहेंगे। अब सभी सरकारी कार्यालयों में दस की बजाय आठ बजे से ही कामकाज शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ से लेकर एयरपोर्ट तक मेट्रो सेवा की शुरुआत की जा रही है।

पाकिस्तान के समाचारपत्र **डॉन** (15 अप्रैल) के अनुसार इस बात की संभावना है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शीघ्र



ही लंदन से स्वदेश लौटगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के बड़े भाई हैं।

अवधनामा (12 अप्रैल) के अनुसार शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के कार्यकारी अध्यक्ष अयाज सादिक ने सदन में घोषणा की कि शहबाज शरीफ को 174 सदस्यों ने अपने वोट दिए हैं। जबकि उनके विरोधी उम्मीदवार शाह महमूद को एक भी वोट प्राप्त नहीं हुआ। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने प्रधानमंत्री के चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है और इसके साथ ही उनकी पार्टी के सभी सांसदों ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। रोचक बात यह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बीमारी के कारण फिलहाल अपने पद से छुट्टी ले ली है। जबकि पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो कि इमरान की पार्टी के थे ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है।

औरंगाबाद टाइम्स (8 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली को भंग करने का जो फैसला किया था उसे पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने अवैध घोषित कर दिया और यह निर्देश दिया कि विपक्ष द्वारा नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करवाया जाए। पाकिस्तान में जो नया सत्तारूढ़ मोर्चा बना है उसमें मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल-उर-रहमान शामिल हैं। इन नेताओं ने एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह दावा किया कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उससे पाकिस्तान का संविधान और देश बच गया है और इससे दुनिया को यह पता चल गया है कि पाकिस्तान में न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है।

औरंगाबाद टाइम्स (14 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी एफआईए ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि इमरान खान को एक अरब देश के राष्ट्राध्यक्ष ने हीरे का एक हार तोहफे के तौर पर दिया था, जिसकी कीमत का अनुमान 40 करोड़ रुपये लगाया जाता है। बाद में इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने यह हार 18 करोड़ में एक जौहरी को बेच दिया, मगर वह रूपए सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाए गए। शहबाज शरीफ का यह भी आरोप है कि विदेशों से इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नाते जो करोड़ों रुपये के तोहफे मिले थे वह उन्होंने सरकारी कोषागार में जमा नहीं करवाए और ये सारे तोहफे स्वयं हड़प लिए। पुलिस ने इमरान खान की सोशल मीडिया टीम के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन पर यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर यह झूठा प्रचार किया कि पाकिस्तान की सेना ने बदले की कार्रवाई के

तहत इमरान सरकार को गिराया है। इमरान खान ये यह आरोप लगाया है कि उनकी सरकार को अमेरिका ने गिराया है।

डेली एक्सप्रेस (14 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान की 75 प्रतिशत जनता इस बात से सहमत है कि इमरान खान की सरकार को गिराने में अमेरिका का हाथ है। जबकि अमेरिका ने इस आरोप का खंडन किया है।

सियासत (7 अप्रैल) के अनुसार रूस ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया है कि वह पाकिस्तान के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि अमेरिका के दबाव के बावजूद इमरान खान ने रूस का दौरा रद्द नहीं किया था इसलिए उन्हें अमेरिका ने सजा दी है। दूसरी ओर

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और अमेरिका पर जो आरोप लगाए गए हैं वह सरासर बेबुनियाद हैं।

सियासत (11 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान में गत 75 वर्षों में किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान में एक प्रधानमंत्री सिर्फ दो सप्ताह तक ही अपने पद पर रहे और जो प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा अपने पद पर रह उनका कार्यकाल सिर्फ 4 वर्ष 2 महीने है। पाकिस्तान के संसदीय इतिहास में 1947 से लेकर अब तक 31 प्रधानमंत्री अपना पद संभाल चुके हैं। इनमें से 18 को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण या सेना ने जबरन उनके पद से हटाया था।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की सूची (1947 से अब तक)

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल
1	लियाकत अली खान	15.08.1947-16.10.1951
2	ख्वाजा नजीमुद्दीन	17.10.1951-17.04.1953
3	मोहम्मद अली बोगरा	17.04.1953-11.08.1955
4	चौधरी मुहम्मद अली	11.08.1955-12.09.1956
5	हुसैन शहीद सुहरावर्दी	12.09.1956-18.10.1957
6	इब्राहिम इस्माइल चुन्दरीगर	18.10.1957-16.12.1957
7	मलिक फिरोज खान नून	16.12.1957-07.10.1958
8	नूरुल अमीन	07.12.1971-20.12.1971
9	जुल्फिकार अली भुट्टो	14.08.1973-05.07.1977
10	मुहम्मद खान जुनेजो	23.03.1985-29.05.1988
11	बेनजीर भुट्टो	02.12.1988-06.08.1990

12	गुलाम मुस्तफा खान जतोई (कार्यवाहक)	06.08.1990-06.11.1990
13	मोहम्मद नवाज शरीफ	06.11.1990-18.04.1993
14	मीर बलख शेर मजारी (कार्यवाहक)	18.04.1993-26.05.1993
15	मोहम्मद नवाज शरीफ	26.05.1993-08.07.1993
16	मोईन कुरैशी (कार्यवाहक)	08.07.1993-19.10.1993
17	बेनजीर भुट्टो	19.10.1993-05.11.1996
18	मलिक मेराज खालिद (कार्यवाहक)	06.11.1996-17.02.1997
19	मोहम्मद नवाज शरीफ	17.02.1997-12.10.1999
20	मीर जफरुल्लाह खान जमाली	23.11.2002-26.06.2004
21	चौधरी शुजात हुसैन	30.06.2004-26.08.2004
22	शौकत अजीज	28.08.2004-15.11.2007
23	मुहम्मद मियां सूमरो (कार्यवाहक)	16.11.2007-24.03.2008
24	सैयद यूसुफ रजा गिलानो	25.03.2008-25.04.2012
25	राजा परवेज अशरफ	22.06.2012-24.03.2013
26	मीर हजार खान खोसो (कार्यवाहक)	25.03.2013-05.06.2013
27	मोहम्मद नवाज शरीफ	05.06.2013-28.07.2017
28	शाहिद खाकान अब्बासी	01.08.2017-31.05.2018
29	जस्टिस (रि.) नासिर-उल-मुल्क (कार्यवाहक)	01.06.2018-18.08.2018
30	इमरान खान	18.08.2018-10.04.2022
31	मोहम्मद शहबाज शरीफ	11.04.2022 से अब तक

इंकलाब (15 अप्रैल) के अनुसार इरादा पाकिस्तान में पुनः मार्शल लॉ लगाने का पाकिस्तानी सेना ने यह स्पष्ट किया है कि उसका नहीं है। पाकिस्तानी सेना यह चाहती है कि



पाकिस्तान में सिविलियन सरकार का निर्वाचन विधिवत चुनाव द्वारा हो।

पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन से संबंधित समाचारों को सभी उर्दू समाचारपत्रों ने बेहद प्रमुखता से प्रकाशित किया और उन पर संपादकीय भी प्रकाशित किए।

इत्तेमाद (1 अप्रैल) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया, 'सेना की नाराजगी इमरान को महंगी पड़ी'। संपादकीय में कहा गया है कि पाकिस्तान में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को अपने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। पाकिस्तान में असली शासन सेना के हाथ में है और वहां जनमत की कोई कीमत नहीं है। समाचारपत्र ने लिखा है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के बीच जो मतभेद उत्पन्न हुए थे उसके कारण इमरान खान को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो इमरान खान ने उसका समर्थन किया था। इसके कारण पश्चिमी देश उनसे नाराज हो गए थे। इमरान खान को सत्ता में लाने के लिए आईएसआई के प्रमुख फैज हमीद की विशेष भूमिका थी। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में लाने में परोक्ष रूप से हमीद

का खास हाथ था। जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आए तो उन्हें मुबारकबाद देने के लिए फैज हमीद काबुल पहुंच गए। इसके कारण कमर जावेद बाजवा ने उन्हें उनके पद से हटा दिया। पाकिस्तान में रियासत मदीना की स्थापना करने का ख्वाब देखने वाले इमरान खान को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। शहबाज शरीफ को न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत भी पसंद करता है।

अवधनामा (15 अप्रैल) ने

अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'क्या पिकचर अभी बाकी है?'। इस संपादकीय में यह कहा गया है कि इमरान खान की तांत्रिक बीवी पीर बुशरा जिन्न और जादू-टोने की मदद से भी अपने पति की गद्दी को बचाने में विफल रही है। हैरानी की बात यह है कि इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए दो पुराने प्रतिद्वंद्वी अर्थात् मुस्लिम लीग (नवाज) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एकजुट हो गई है।

अवधनामा (12 अप्रैल) ने इसी संदर्भ में एक संपादकीय लिखा है जिसका शीर्षक है, 'नया अभिमन्यु'। समाचारपत्र का कहना है कि पाकिस्तान में असली शासक सेना है। वह जिसे चाहे गद्दी पर बैठा देती है। जब पाकिस्तान सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका में एक सेमिनार में इमरान सरकार की विदेश नीति की आलोचना की थी तो उसी समय यह साफ हो गया था कि अब इमरान क सत्ता के दिन समाप्त हो गए हैं। इमरान जिस तरह से मुस्लिम देशों में उभर रहे थे वह अमेरिका को पसंद नहीं था। इसलिए अमेरिका के इशारे पर सेना ने इमरान को गद्दी से हटाने का फैसला किया। इससे पहले भी यह गलती भुट्टो ने की थी। अमेरिका से दूरी और चीन से नजदीकी के कारण उन्हें फांसी पर

लटकना पड़ा। यह तथ्य सर्वविदित है कि बेनजीर की हत्या के पीछे परवेज मुशर्रफ का हाथ था। कड़वी सच्चाई यह है कि मुस्लिम जगत में जिस भी व्यक्ति ने अमेरिका से लोहा लेने की कोशिश की उसे सत्ता और अपने प्राण दोनों से हाथ धोना पड़ा।

सालार (12 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि शहबाज शरीफ सत्ता में तो आ गए हैं, मगर वे विपक्ष के असहयोग पूर्ण रवैये के कारण कब तक सत्ता में रहते हैं इसके बारे में दावे से कुछ भी कहना मुश्किल है। इमरान खान ने सत्ता में रहने के लिए हर दांव पेंच का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह कोशिश की कि अविश्वास प्रस्ताव नेशनल असेंबली में पेश न हो इसलिए राष्ट्रपति पर दबाव डालकर पाकिस्तान नेशनल असेंबली को ही उन्होंने भंग करवा दिया, मगर पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को रद्द करके पाकिस्तान को संवैधानिक संकट से बचा लिया। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, जिनके संबंध पाकिस्तानी सेना से कभी भी मथुर नहीं रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में अस्थिरता पैदा होने की संभावना है।

सियासत (2 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में इस बात पर चिंता प्रकट की है कि पाकिस्तान में राजनीतिक खींचतान के कारण सेना को पुनः सत्ता संभालने का मौका मिल सकता है।

सियासत (11 अप्रैल) के अनुसार इमरान खान ने जिस तरह से अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए राष्ट्रपति आरिफ अल्वी का इस्तेमाल किया है उससे उनकी छवि को धक्का लगा है। अगर व संसद में ही अपने त्यागपत्र की घोषणा कर देते तो उससे उनकी इज्जत बच जाती। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक जिस तरह

से सड़कों पर उतर रहे हैं उससे मामला और भी जटिल हो गया है। अब नई सरकार इमरान को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरना चाहती है। पाकिस्तान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि वहां के अधिकांश शासकों को या तो फांसी पर चढ़ना पड़ा या अपनी जान बचाने के लिए विदेशों में शरण लेनी पड़ी।

सालार (10 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इमरान भले ही क्रिकेट के कप्तान रहे हों मगर वे राजनीति क कच्चे खिलाड़ी निकले हैं। जब उन्हें इस बात की जानकारी थी कि नेशनल असेंबली में उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं है तो उन्होंने संसद को भंग करने की शिफारिश करके लोकतंत्र विरोधी कदम क्यों उठाया? उनके अंजाम से पाकिस्तान के नेताओं को सबक लेना चाहिए। एक मजबूत लोकतंत्र ही एक मजबूत सरकार बनाने में कामयाब होता है, मगर अभी तक पाकिस्तान में लोकतंत्र सेना के इशारों पर चलता रहा है।

औरंगाबाद टाइम्स (12 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि शहबाज शरीफ का रास्ता कांटों से भरा हुआ है। पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है और विदेशों से उसे धनराशि नहीं मिल रही है। पाकिस्तान में आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा तेजी से बढ़ रही है। इनको दूर करने के लिए नई सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह बेहद अफसोसनाक है। पाकिस्तान में शियाओं का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है वह पाकिस्तान की सत्ता के लिए भविष्य में खतरा सिद्ध हो सकता है।

रूस द्वारा अफगान तालिबान को मान्यता

इत्तेमाद (11 अप्रैल) के अनुसार रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान कर दी है। तालिबान सरकार ने रूस में अपना महावाणिज्य दूत जमाल गरवाल को नियुक्त किया है। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता में आए आठ महीने हो चुके हैं। मगर अभी तक उन्हें किसी भी देश ने मान्यता प्रदान नहीं की है। ऐसी स्थिति में रूस द्वारा तालिबान सरकार को मान्यता देना एक महत्वपूर्ण कदम है।



इंकलाब (3 अप्रैल) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह स्वीकार किया है कि विश्व की विभिन्न सरकारों से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में साढ़े चार बिलियन डॉलर मिलने की संभावना थी, मगर यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है और अभी तक 41 देशों ने अफगानिस्तान के लिए दो अरब 44 करोड़ डॉलर की सहायता देने का वायदा किया है। जर्मनी ने अफगानिस्तान को 200 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा है कि जहां तक अफगानिस्तान को और सहायता देने का संबंध है

वह इस बात पर निर्भर है कि अफगानिस्तान सरकार भविष्य में कैसा रवैया अपनाती है।

रोजनामा सहारा (3 अप्रैल) के अनुसार जर्मनी ने यह स्पष्ट किया है कि उसने जो सहायता देने की घोषणा की है वह अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को नहीं दी जाएगी बल्कि वहां पर सक्रिय राहत एजेंसियों को दी जाएगी। अभी तक अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा धनराशि देने वाला देश जर्मनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा है कि वहां पर 90 लाख लाग भूखमरी का शिकार हैं और अगर उन्हें तुरंत सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई तो उनका बचना असंभव होगा।

कुख्यात आतंकी हाफिज सईद को 32 वर्ष की सजा

इंकलाब (9 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंकवादी संगठनों की आर्थिक रूप से सहायता करने के आरोप में जमात-उद-दावा के प्रमुख आतंकवादी हाफिज सईद को दो मुकदमों में 32 वर्ष की सजा सुनाई है। उसे एक मुकदमे में 15 वर्ष और दूसरे मुकदमे में साढ़े सोलह वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।

इसके अतिरिक्त उस पर तीन लाख 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। हाफिज सईद पहले से ही जेल में है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा का अमीर-ए-आला है। जबकि जफर इकबाल, अब्दुल गफ्फार, अमीर हमजा और हाफिज मसूद

प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ट्रस्टी हैं और उन्होंने मियां चन्नू में लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित एक संगठन के लिए भूमि खरीदी थी। यह भूमि गुलाम हुसैन नामक व्यक्ति से खरीदी गई। इस व्यक्ति को इस बात की जानकारी थी कि जिस संगठन को यह भूमि बेची जा रही है वह आतंकवादी संगठन है और सरकार उस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। अदालत ने गुलाम हुसैन नामक इस व्यक्ति को भी 12 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि यह संगठन और उससे



जुड़े हुए लोग धनराशि इकट्ठा करके आतंकवाद की ज्वाला भड़काने का काम करते हैं।

पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर सरकारी भ्रष्टाचार

रोजनामा सहारा (15 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश काजी फैज इसा ने सरकारी कर्मचारियों को भूखंड आवंटित करने के एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अपनी टिप्पणी में कहा है कि हमारे देश का नाम भले



ही इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान है, मगर यहां पर इस्लाम के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यहां का प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसे कीमती भूखंड आवंटित कर देता है। हमारे देश में सिर्फ बड़े लोगों को ही सरकार रियायती कीमत पर भूखंड देती है। जबकि गरीब को कोई नहीं पूछता। पाकिस्तानी सेना के जनरलों को बड़े-बड़े आलीशान बंगले बनाने के लिए मिट्टी के भाव सरकार भूखंड उपलब्ध कराती है। जबकि करोड़ों गरीब झुगियों में रह रहे हैं। उन्हें रियायती दामों पर भूखंड या सस्ते मकान बनाकर देने पर

आज तक किसी भी सरकार का ध्यान नहीं आया। न्यायमूर्ति काजी ने पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन के वकील से पूछा कि आखिर इस देश में जमीन आवंटित करने के क्या नियम हैं? या इस मामले में सिर्फ मनमानी चलती है? गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार ने उच्च सैनिक

अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए मिट्टी के भाव भूखंड आवंटित किए थे, जिसे कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इस आवंटन को रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क यह था कि पाकिस्तान के संविधान के तहत उच्च न्यायालय न तो किसी को भूखंड आवंटित कर सकती है और न ही रद्द कर सकती है। इसलिए उच्च न्यायालय के इस फैसले को रद्द किया जाए।

श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर

रोजनामा सहारा (15 अप्रैल) के अनुसार 51 अरब डॉलर के कर्ज में डूबे हुए श्रीलंका ने विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों से अपील की है

कि वे अपने देशवासियों की सहायता के लिए विदेशों से विदेशी मुद्रा भेजे ताकि लोगों को खाद्यान्न और इंधन उपलब्ध कराया जा सके।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1948 के बाद से श्रीलंका को आज तक इतने भीषण आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा है। सरकार ने यह घोषणा की है कि फिलहाल किसी भी विदेशी कर्ज की किसी भी किश्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस समय श्रीलंका पर जो कर्ज है उसके ब्याज के रूप में हर वर्ष 20 करोड़ डॉलर विदेशों को देना पड़ता है।



ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक डॉक्टर ने कहा है कि हम सहायता करना चाहते हैं, मगर हमें अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। 2004 में जब श्रीलंका में सुनामी आई थी तो विदेशों में रहने वाले श्रीलंकाई नागरिकों ने अरबों डॉलर की सहायता अपने देशवासियों को भेजी थी, मगर उनमें से एक रुपया भी किसी नागरिक को सहायता के रूप में नहीं दिया गया। य सारी धनराशि नेता ही हड़प गए। इनमें वर्तमान प्रधानमंत्री महिन्दा राजपक्ष भी शामिल हैं।

रोजनामा सहारा (14 अप्रैल) के अनुसार देश भर में बढ़ती महंगाई, ईंधन और खाद्यान्न की कमी के खिलाफ नागरिकों का विरोध दिन-प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। सेना और नागरिकों के बीच झड़पें हो रही हैं, जिसमें अनेक लोग मारे गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपने भाई को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया है और उनके स्थान पर उवैस मोहम्मद अली साबरी को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही श्रीलंका के सभी 26 मंत्रियों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिए हैं। ईंधन न होने के कारण बिजली सप्लाई और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। बाजार में चावल 1000 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। जबकि दालों का भाव 1100-1200 रुपये के बीच है। लोग अपना पेट भरने के लिए अपनी ज्वेलरी सस्ते दामों पर बेच रहे हैं। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 300 श्रीलंकाई रुपये के पार हो चुकी है। आर्थिक संकट

को देखते हुए संसद के उपाध्यक्ष सहित 40 सांसदों ने सत्ता पक्ष से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वे संसद में निर्दलीय सांसद के रूप में बैठेंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वक्त वित्तीय बैंकों में एक डॉलर की कीमत 310-320 श्रीलंकाई रुपये तक पहुंच चुकी है। श्रीलंका के इतिहास में अभी तक कभी भी श्रीलंकाई करेंसी का इतना अवमूल्यन नहीं हुआ था।

रोजनामा सहारा (4 अप्रैल) के अनुसार श्रीलंका सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में 2000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे खाद्यान्न खरीदने के लिए बाजार में आए थे।

इत्तेमाद (4 अप्रैल) के अनुसार दक्षिण एशिया के सबसे खुशहाल देशों में शामिल श्रीलंका आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। जनाक्रोश को दबाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। खाद्यान्न के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि, बिजली और ईंधन की कमी के कारण लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वे श्रीलंका के राष्ट्रपति और उनके भाई प्रधानमंत्री के त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं। चाय के एक कप की कीमत 100 रुपये तक पहुंच चुकी है। ब्रेड की कीमत 150 श्रीलंकाई रुपये हो गई है। सरकार यह दावा करती है कि कोरोना के कारण उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। क्योंकि पर्यटकों ने श्रीलंका आना बंद कर दिया है। जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस आर्थिक बदहाली का सबसे बड़ा कारण सरकार की आर्थिक नीतियां हैं। इस संकटकाल में भारत सरकार ने 40 हजार टन डीजल और 20 हजार टन चावल सहायता के रूप में श्रीलंका को दिया है।

दस लाख हाजियों को हज यात्रा करने की अनुमति



सियासत (10 अप्रैल) के अनुसार सऊदी सरकार ने चालू वर्ष में दस लाख हज यात्रियों को हज करने की अनुमति देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण गत दो वर्षों से विदेशियों के लिए हज यात्रा करने पर सऊदी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था। सऊदी हज मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष 65 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति ही हज कर सकेंगे। सभी हज यात्रियों को सऊदी अरब में प्रवेश से पूर्व कोरोना नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही उन्हें सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय से मान्यता प्राप्त वैक्सीन का प्रमाण पत्र देना होगा। अभी तक सरकार ने विभिन्न देशों के लिए हज यात्रियों के निर्धारित कोटे की घोषणा नहीं की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष 58 हजार सऊदी नागरिकों को ही हज यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।

इसी समाचारपत्र में 7 अप्रैल को प्रकाशित समाचार के अनुसार मक्का के वातावरण को ठंडा

रखने के लिए विशाल वातानुकूलित संयंत्र लगाए जा रहे हैं। काबा में जो वातानुकूलित संयंत्र लगाए गए हैं वे विश्व के सबसे बड़े वातानुकूलित संयंत्रों में से हैं। पहला संयंत्र 'अजियाद' है, जिसकी क्षमता 35,300 टन कुलिंग है। दूसरा 'केंद्रीय संयंत्र' है जिसकी क्षमता 12 लाख टन कूलिंग है। ये दोनों प्लांट मक्का को ठंडा रखेंगे। इसके अतिरिक्त 20 लाख लोगों के लिए बोतलों में भरा हुआ आब-ए-जमजम भी सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है। मक्का आने वाले प्रत्येक हाजी को आब-ए-जमजम की दो बोतलें तोहफे के तौर पर सरकार द्वारा दी जाएंगी। गौरतलब है कि मुसलमानों में आब-ए-जमजम को गंगाजल की तरह पवित्र माना जाता है।

अवधानामा (10 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने उमरा करने पर लगाई गई सभी पाबंदियों को हटाने की घोषणा की है। अब विश्व भर के मुसलमान उमरा अदा करने के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं।

इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापारिक समझौता



इत्तेमाद (3 अप्रैल) के अनुसार इजरायल के आर्थिक मामलों के मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के विदेशी और व्यापारिक मामलों के मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापारिक समझौता हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक मामलों के मंत्री अब्दुल्लाह बिन तौक अल-मारी ने कहा कि इस समय संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच प्रत्येक वर्ष 60-70 अरब डॉलर का व्यापार होता है। दोनों देशों ने घोषणा की है कि उनके बीच व्यापार को चार गुना तक बढ़ाया जाएगा। इस लक्ष्य के लिए 95 प्रतिशत वस्तुएं कस्टम ड्यूटी से मुक्त की गई हैं। जिन वस्तुओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया है उनमें खाद्य पदार्थ, कॉस्मेटिक सामान, औषधियां और डॉक्टर उपकरणों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी शामिल है। इस तरह का समझौता इससे पूर्व बहरीन और मोरक्को के साथ भी हो चुका है। गौरतलब है कि 2020 में अमेरिका के दबाव में अनेक अरब देशों के व्यापारिक संबंध इजरायल के साथ स्थापित हुए थे। सरकारी तौर पर यह दावा

किया गया है कि इस फैसले के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में और वृद्धि होगी।

सियासत (1 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में इस बात की आलोचना की है कि अमेरिका के दबाव पर अनेक अरब देश इजरायल की कठपुतली बन चुके हैं। कुछ वर्ष पूर्व किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि अरब देश इजरायल की इस तरह से कठपुतली बन जाएंगे। अमेरिका के दबाव पर संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, मिस्र और सूडान के इजरायल के साथ व्यापारिक और राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। अब अमेरिका का यह प्रयास है कि सऊदी अरब भी खुलकर इजरायल को मान्यता प्रदान करे, मगर सऊदी अरब को यह भय है कि अगर उसने इजरायल को मान्यता प्रदान कर दी तो विश्व भर के मुस्लिम देशों में उसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि इससे इस बात की पुष्टि होगी कि सऊदी अरब और अन्य अरब देश फिलिस्तीन पर इजरायल के अवैध कब्जे को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। अमेरिका के दबाव पर इजरायल के प्रधानमंत्री न मिस्र का दौरा किया था और वहां उनकी मुलाकात मिस्र के राष्ट्रपति और संयुक्त

अरब अमीरात के युवराज से भी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि इजरायल और अरब देशों के बीच अब व्यापारिक समझौतों के साथ-साथ रक्षा समझौते भी हो चुके हैं।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और अन्य देशों ने एक नए यहूदी राष्ट्र इजरायल को जन्म दिया था, जिसने जबरन और अवैध रूप से फिलिस्तीन की भूमि पर कब्जा करके अरबों को वहां से भागने पर मजबूर किया था और उनकी जगह दुनिया भर के कोने-कोने से लाकर यहूदियों को बसाया गया था। 1967 के अरब-इजरायल युद्ध में इजरायल ने वेस्ट बैक, सिनाई और गोलन पहाड़ियों के अरब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और यह कब्जा अभी तक बरकरार है। अब हालात ये हैं कि अमेरिका के दबाव पर अरब देशों में ऐसे शासकों को लादा जा रहा है जो कि इजरायल से सहानुभूति रखते हैं। इस वक्त अमेरिका और इजरायल का असली निशाना ईरान है। क्योंकि ईरान डटकर अमेरिका और इजरायल के आक्रामक इरादों को मिट्टी में मिला रहा है। हाल ही में सऊदी अरब के तेल भंडारों पर ईरानी समर्थकों ने जो हमले किए हैं उससे इजरायल और अमेरिका की नींद हराम हो गई है। यमन में हूतियों के बढ़ते

हुए प्रभाव के बारे में अमेरिका और इजरायल दोनों चिंतित हैं।

इंकलाब (8 अप्रैल) के अनुसार यमन के राष्ट्रपति मंसूर हादी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और अपने सभी अधिकार नेतृत्व परिषद को सौंप दिए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपराष्ट्रपति अली मोहसिन अल-अहमर को भी उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। हादी ने कहा है कि उन्होंने यह कदम यमन में चल रहे गृहयुद्ध का समाधान खोजने के लिए उठाया है ताकि हूती विद्रोहियों के साथ स्थाई शांति वार्ता को शुरू किया जा सके। गौरतलब है कि रमजान के कारण इन दिनों सऊदी अरब और हूतियों के बीच युद्ध विराम चल रहा है। हादी ने कहा है कि मैं यह चाहता हूं कि यह युद्धविराम स्थाई रूप धारण कर सके। हूती, जिनको ईरान का समर्थन प्राप्त है सऊदी अरब के तेल भंडारों को उससे छीनने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि यमन में गृह युद्ध 2014 में शुरू हुआ था और अब तक इस गृहयुद्ध में दस लाख लोग मारे जा चुके हैं और 40 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। त्यागपत्र देने वाले मंसूर हादी को सऊदी अरब का समर्थक माना जाता है।

जॉर्डन के राजपरिवार में भीषण मतभेद

इनेमाद (5 अप्रैल) के अनुसार जॉर्डन के राजपरिवार के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के खिलाफ उनके सौतेले भाई हमजा ने खुली बगावत कर दी है और उन्होंने यह घोषणा की है कि वे अपने सभी शाही पदवियों का बहिष्कार करेंगे और जॉर्डन के शाही परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। गौरतलब है कि गत वर्ष जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने अपने सौतेले भाई को कैद कर दिया था। इस बीच दोनों में मतभेद और तीव्र हो गए। गौरतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने जब

उस्मानी साम्राज्य को विभिन्न टुकड़ों में बांट दिया था और उनका शासन अपनी कठपुतलियों को सौंप दिया था तो जॉर्डन का शासन हाशमी वंश को सौंपा गया था। शाह हुसैन इसी हाशमी वंश के उत्तराधिकारी थे। उनकी मल्लिका ब्रिटिश नागरिक थीं। 50 वर्ष तक उन्होंने जॉर्डन पर शासन किया। 1999 में उनके निधन के बाद उनके बड़े बेटे अब्दुल्ला द्वितीय को जॉर्डन का राजा घोषित किया गया। तब से उनके अपने सौतेले भाई हमजा स गंभीर मतभेद चले आ रहे हैं।



हमजा ने अपने बड़े भाई अब्दुल्ला पर यह आरोप लगाया था कि उनके शासन में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन फैला हुआ है। कहा जाता है कि उन्हें जॉर्डन के कुछ ताकतवर कबीलों का भी समर्थन प्राप्त था। अपनी गद्दी को खतरे में देखकर अब्दुल्ला ने उन्हें गिरफ्तार करके राजमहल में नजरबंद कर दिया था और उनसे किसी भी व्यक्ति

के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जॉर्डन के राजपरिवार में बढ़ते हुए असंतोष को सऊदी अरब के शासकों ने दूर करने का प्रयास किया था और उन्होंने राजकुमार हमजा पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वे अपने बड़े भाई शाह अब्दुल्ला से माफी मांगकर समझौता कर लें। मगर हमजा ने अपने भाई अब्दुल्ला से किसी प्रकार का समझौता करने से इंकार कर दिया। यूरोपीय मीडिया के

अनुसार हमजा जॉर्डन की जनता में लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने यह घोषणा की है कि वे भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राजवंश से संबंध विच्छेद करने की भी घोषणा कर दी। जॉर्डन में बढ़ता हुआ असंतोष कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है।

इजरायल सरकार बहुमत से वंचित

इंकलाब (8 अप्रैल) के अनुसार इजरायल के एक सांसद इदित सिलमन ने अस्पतालों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए इजरायल के शासक गठबंधन से इस्तीफा दे दिया है। इसके कारण इजरायल की नाफ्ताली बेनेट सरकार बहुमत से वंचित हो गई है और इजरायल में मध्यावधि चुनाव की संभावना बढ़ गई है। नाफ्ताली को शासन संभालते हुए अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें यह सरकार चलाने में काफी कठिनाई होगी। त्यागपत्र देने वाली सांसद इदित सिलमन का संबंध कट्टरपंथी यहूदी पार्टी यामिना से है। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में खमीरी रोटियों और खाद्य पदार्थों को लाने की अनुमति देने का विरोध किया था। क्योंकि यहूदी

परंपरा के अनुसार इन दिनों ये खाद्य पदार्थ खाना वर्जित है।

नाफ्ताली बेनेट की पार्टी इजरायल की संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई थी। आठ विपक्षी दलों ने गठबंधन करके पुराने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कट्टर नीतियों के कारण उन्हें सत्ता से हटाने का लक्ष्य रखा था। वे सत्ता से तो हट गए मगर उनका कोई विकल्प मौजूद नहीं था। उन्हें सत्ता से दूर रखने के लिए आठ विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाया था, जिसमें कट्टरवादी यहूदी पार्टियों के अतिरिक्त अरबों की समर्थक पार्टियां और उदारवादी पार्टियां भी शामिल थीं। अब तक तीन बार इजरायल में चुनाव हो चुके हैं, मगर कभी किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं

हुआ है। इजरायली सांसदों की कुल संख्या 120 है। इनमें से साठ का समर्थन नाफ्ताली बेनेट को हासिल है। इन दिनों इजरायली संसद में अवकाश चल रहा है। इसलिए यह कहना कठिन है कि विपक्ष इजरायली संसद में वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश करेगा।

गौरतलब है कि गत तीन वर्षों में देश में पांच बार आम चुनाव करवाए जा चुके हैं, मगर

उनमें किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। कभी नाफ्ताली बेनेट भी नेतन्याहू के सबसे बड़े समर्थकों में माने जाते थे, मगर बाद में उनमें मतभेद पैदा हो गए और उन्होंने नेतन्याहू की 12 वर्षीय सरकार का तख्ता पलट दिया। इदित सिलमन का त्यागपत्र इजरायली राजनीति को कौन सी नई दिशा देगा अभी इसके बारे में कुछ भी कहना बेहद कठिन है।

रमजान में भिखारियों की बढ़ती संख्या

रोजनामा सहारा (4 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब में रमजान के पवित्र महीने में विदेशी भिखारी आकर मोटी कमाई करते हैं। इसलिए सऊदी सरकार ने इन विदेशी भिखारियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है। समाचारपत्र के अनुसार एक विदेशी भिखारी महिला को सुरक्षा चेक पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एक लाख 32 हजार रियाल की धनराशि बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि यह धनराशि उसने लोगों से भीख मांगकर इकट्ठी की थी। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय के अनुसार रमजान के पवित्र महीने में विदेशी भिखारी अवैध रूप से सऊदी अरब में दाखिल होकर मोटी कमाई करते हैं। ये लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वे स्वयं को वृद्ध और अपंग घोषित करते हैं और अबोध बच्चों से भीख मांगते हैं। सऊदी गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि पुलिस को इस बात का कड़ा निर्देश दिया गया है कि वे इन विदेशी भिखारियों को सऊदी अरब की सीमा में दाखिल न होने दें। जो व्यक्ति भीख मांगता या किसी भिखारी को सऊदी अरब में प्रवेश में सहायता देता पाया जाएगा उसे एक वर्ष कैद और एक लाख रियाल जुर्माने की सजा दी जाएगी और भविष्य में सऊदी अरब में उसके प्रवेश को बैन कर दिया जाएगा। गृह



मंत्रालय ने घोषणा की है कि सीमा पर स्थित सुरक्षा चौकियों को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जिस पर भिखारी होने का संदेह हो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए।

इंकलाब (14 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक मस्जिद के भीतर भीख मांगते हुए छह भिखारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो पाकिस्तानी नागरिक हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार ये भिखारी मस्जिद अल-रहीम में नमाज पढ़ने वालों से अपन बीमार पिता के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांग रहे थे। उन्होंने कुछ नमाजियों से 20 हजार रियाल की मदद मांगी थी। जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो ये एक कार में सवार होकर वहां से भाग निकले। बाद में मस्जिद में लगे हुए सीसीटीवी कैमर की सहायता से उन्हें खोज निकाला गया। पकड़े गए भिखारियों में दो पाकिस्तानी, दो सूडानी और दो बांग्लादेशी हैं।

हागिया सोफिया में नमाज



मुंबई उर्दू न्यूज (2 अप्रैल) के अनुसार तुर्की की ऐतिहासिक इमारत हागिया सोफिया में 88 वर्ष के बाद रमजान की नमाज अदा की जा रही है। गौरतलब है कि हागिया सुफिया ऐतिहासिक इमारत है, जिसका निर्माण तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में रोमन साम्राज्य के सम्राट जुस्टिनियन प्रथम के शासनकाल में 532-537 ईस्वी के बीच एक गिरजाघर के तौर पर किया गया था। इसे रोमन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण भवन माना जाता है। शताब्दियों तक इस गिरजाघर में रूढ़िवादी ईसाई ईसा की प्रार्थना करते रहे। 1453 में जब मुस्लिम सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने कस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की तो मुसलमानों ने तलवार के जोर पर इस गिरजाघर को मस्जिद में बदल दिया। कमाल अतातुर्क के शासनकाल में जब उस्मानी साम्राज्य का खात्मा कर दिया गया तो उन्होंने 1935 में इस मस्जिद को एक संग्रहालय में बदलने की घोषणा की। जब तुर्की में पुनः कट्टर इस्लामिक संगठन

सत्ता में आए तो उन्होंने 2020 में इस संग्रहालय को पुनः मस्जिद में बदलने की घोषणा कर दी, जिसे वहां के ईसाईयों ने तुर्की के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि इस ऐतिहासिक इमारत को मस्जिद में न बदला जाए। मगर न्यायपालिका के इस निर्देश की धज्जियां उड़ात हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक फरमान जारी करके न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और इस भवन को पुनः मस्जिद में बदलने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इस मस्जिद में पांचों वक्त का नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू किया जाए। कोरोना महामारी के दौरान अभी तक वहां पर नमाज पढ़ा जाना प्रारंभ नहीं हुआ था मगर अब रमजान के शुरू होते ही इस वर्ष से वहां पर नमाज अदा करना शुरू हो गया है और इसे विधिवत एक मस्जिद का दर्जा दे दिया गया है।

जाकिर नाइक का संगठन देशद्रोही घोषित



मुंबई उर्दू न्यूज (1 अप्रैल) के अनुसार आतंकवाद विरोधी ट्रिब्यूनल ने इस्लाम के प्रचारक डॉ. जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को देशद्रोही करार देने और उसको प्रतिबंधित करने के केंद्र सरकार के फैसले की पुष्टि कर दी है। ट्रिब्यूनल ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से इस प्रतिबंध पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए जवाब मांगा था। इस संगठन ने यह दावा किया है

कि यह संगठन एक पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका लक्ष्य जनता का विकास, जरूरतमंदों की सहायता, शैक्षिक संस्थानों और अस्पतालों को स्थापित करना है। ट्रिब्यूनल ने फाउंडेशन के इस दावे को रद्द करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पेश किए गए प्रमाणों से इस बात की पुष्टि होती है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ऐसी गतिविधियों में शामिल रही है जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और इससे देश की शांति, सांप्रदायिक सद्भावना आर धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ सकती है। इस ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचना की पुष्टि की है और इस संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध में पांच वर्ष की वृद्धि कर दी है।

त्रिपुरा में मस्जिद का नवनिर्माण

मुंबई उर्दू न्यूज (5 अप्रैल) के अनुसार जमीयत उलेमा ने अगरतला में पंचायत दरगाह बाजार स्थित मस्जिद का नवनिर्माण करके उसे नमाजियों के हवाले कर दिया है। जमीयत उलेमा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अक्टूबर 2021 में त्रिपुरा में हुए सांप्रदायिक दंगे में इस मस्जिद को नुकसान पहुंचा था। जमीयत उलेमा का एक प्रतिनिधिमंडल जब त्रिपुरा गया तो वहां के स्थानीय निवासियों ने उनसे यह अनुरोध किया था कि इस मस्जिद का नवनिर्माण किया जाए। इस मस्जिद का नवनिर्माण करके इसे वहां के मुसलमानों के हवाले किया जा चुका है। जमीयत उलेमा ने इन दंगों से प्रभावित होने वाले दुकानदारों को भी 50-50 हजार रुपये



आर्थिक सहायता प्रदान की है। मौलाना अरशद मदन ने घोषणा की है कि इन दंगों में जिन अन्य मस्जिदों को क्षति पहुंची थी उनका भी नवनिर्माण करके इसे उन्हें स्थानीय मुसलमानों की प्रबंध समिति को सौंप दिया जाएगा।

उपकुलपति के घर पर विवादित नारे लिखने पर कार्रवाई



मुंबई उर्दू न्यूज (1 अप्रैल) के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति तारिक मंसूर के घर पर कुछ विवादित टिप्पणी लिखने के सिलसिले में लापरवाही बरतने पर पांच सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जबकि तीन छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बताया जाता है कि कुछ छात्रों ने उपकुलपति के बंगले की दीवार पर लिखा था, 'एएमयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। बीसी को एक्सटेंशन मिल गई। आपको (छात्रों) क्या मिला?। कैनेडी हॉल में समारोह, क्लास रूम में कोरोना, बीसी जागो'। अलीगढ़ विश्वविद्यालय

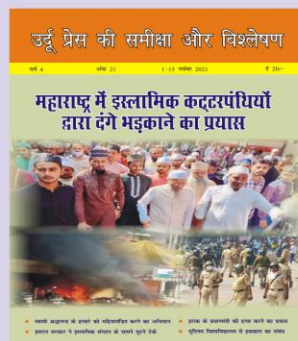
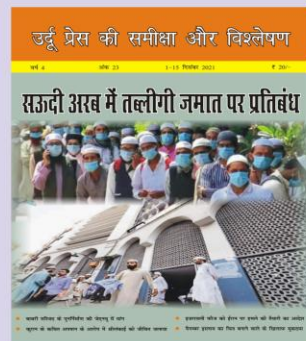
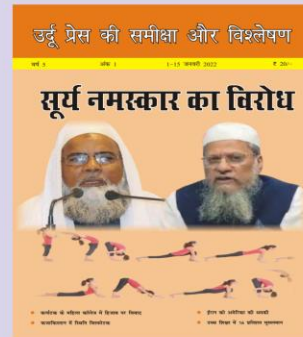
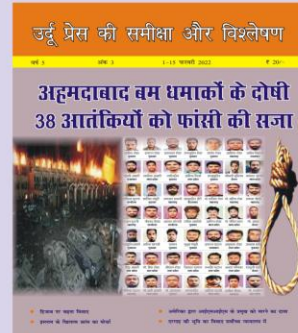
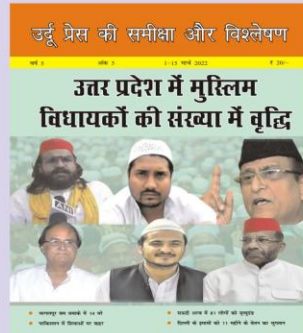
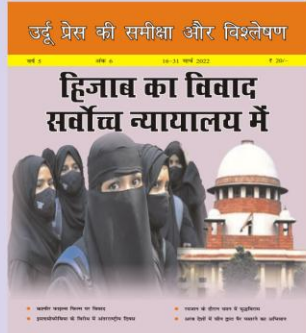
के उपकुलपति तारिक मंसूर के आवास के बाहर यह टिप्पणी लिखी पाई गई थी।

विश्वविद्यालय के प्रोक्टर मोहम्मद वसीम अली के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन ने लापरवाही बरतने के आरोप में पांच सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया है। जबकि यह टिप्पणी लिखने वाले छात्रों से जवाब मांगा गया है। उनका जवाब प्राप्त होने के बाद इस संबंध में अगली कार्रवाई की जाएगी। विवाद विश्वविद्यालय को खोलने के बारे में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है कि छात्रों को कोरोना महामारी के कारण विश्वविद्यालय में आने से रोका जा रहा है। वहाँ दूसरी ओर कैनेडी हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। छात्रों का यह भी कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि विश्वविद्यालय को छात्रों के लिए खोल दिया जाएगा। मगर अभी तक 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय बंद हैं।

निजामशाही की निशानियों को मिटाने का प्रयास

सियासत (13 अप्रैल) ने शिकायत की है कि कुछ शरारती तत्व निजामशाही के ऐतिहासिक महलों और आसफिय युग की निशानियों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार द्वारा उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इससे पूर्व तेलंगाना सरकार ने निजाम के एक महल एरम मंजिल को गिराने का प्रयास किया था, मगर नागरिकों के कड़े विरोध के कारण सरकार को इसे रद्द करना पड़ा। अब सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान के महल किंग कोठी के अंदर स्थित ऐतिहासिक भवनों को ध्वस्त करके उनकी बहुमूल्य भूमि को माफिया

द्वारा हड़पने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में शासक दल के एक विधायक ने निजामकालीन इमामबाड़े पर जबरन कब्जा कर लिया है। यहां पर शियाओं द्वारा मुहर्रम की मजलिसों का आयोजन किया जाता था। इससे पूर्व निजामकालीन एक ऐतिहासिक इमारत खुसरो मंजिल को भी ध्वस्त करके वहां पर मॉल का निर्माण किया जा चुका है। समाचारपत्र ने चेतावनी दी है कि अगर सल्तनत आसफिया की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया तो हैदराबाद के नागरिक उसका डटकर विरोध करेंगे।



भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in